147/019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 889508

1200

Attested 30.11.19

विवेकानन्द सिंह स्मारक न्यास

न्यास विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 27.11.2019 को आजमगढ़ में शशांक सिंह पुत्र शिव मोहन सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ द्वारा किया गया है। जिन्हें आगे न्यास कर्ता/संस्थापक/मैनजिंग ट्रस्ट कहा जायेगा। न्यास कर्ता/संस्थापक के पास रू0 5100.00 (पॉच हजार एक सौ रूपये मात्र) की धनराशि है, जिसे वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यास कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा व अन्य क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट "विवेकानन्द सिंह स्मारक न्यास" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप में सफल हो सके।

क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रूपये 5100.00 (पॉच हजार एक सौ रूपये मात्र) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 889509

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यास कर्ता/ मैनेजिंग ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

नियमानुसार निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों अनाथालयों, वृद्धाश्रमों व इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनको मान्य संस्थान से पंजीकृत कराना।

शशांक सिंह

810

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 205291

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यू टर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वागीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

4. विभन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना।

5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।

6. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों, आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि करना।

7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास करना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करना।

8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठके, विशेष कक्षाएं छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

9. समाज कल्याण विभाग पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विकलांग कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण एवं मानव संशाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर कार्य करना।

10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि पर लोगों को शिक्षित करना।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579726

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, विद्यालया एन0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इन्जीनियरिंग कालेज, पॉलिटेक्निक कालेज, बी0एड0, बी0टी0सी0 कालेज, नर्स ट्रेनिंग कालेज आई0टी0आई0 कालेज पुस्तकालये, फार्मेसी, फीजियोथीरैपी आदि संस्थाओं की स्थापना करना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्निशीयन, सम्बद्ध प्रबनध आदि करना।

12. व्यक्ति विशेष, सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थाओं को समायोजित/विलय करना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग/अनुदान प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।

14. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार करना।

16. कृषि पर आधारित उत्पादों पर अनुसंधान करना व उनका प्रसार करना।

17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना।

18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादीत, वितरित, विक्रित करना।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579727

20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

21. पत्राचार द्वारा, अध्यापक/अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्वार करना।

24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।

25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

26. ट्रस्टसंस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकलकालेज,विधिमहाविद्यालयों/इन्जीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) को प्रदान करना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में सहमति करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्याय मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित/विलय किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) माना जायेगी। इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

शशांक सिंह 5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579728

27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सडक, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार करना।

29. ट्रस्टी वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा और बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संशाधन विकास मंत्रालय नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।

32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गो अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक, संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
95AD 579729

34. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधियों खेती के विषय में जानकारी देना उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।
36. कोई भी पंजीकृत समिति/संस्था को इस ट्रस्ट में समायोजित/विलय करना एवं उनके उद्देश्यों को पूरा करना।
37. ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किसी सरकारी, केन्द्रीय, विदेशी व पंजीकृत संस्थानों से अनुदान अथवा ऋण ग्रहण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन प्राप्त करना।

2. **प्रारम्भि उपबन्ध** –

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से शशांक सिह न्यास कर्ता व इस न्यास विलेख के रचयिता (Auther of Deed) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा–

(1) श्री शशांक सिंह पुत्र शिव मोहन सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
(2) डा0 अरूण कुमार सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
(3) श्री शिव मोहन सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

शशांक सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579730

(4) श्री विनोद सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

(5) श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

(6) श्री हरि मोहन सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

आजमगढ़ को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जायेगा।

2. किसी भी नये ट्रस्टीयों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 5100.00 (पॉच हजार एक सौ रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयो के समक्ष रखा जायेगा ट्रस्टीयों द्वारा पूर्ण बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उन्हे ट्रस्टी बनाया जायेगा परन्तु इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृत अनिवार्य होगी। उसके बिना सहमति के किसी भी नये ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे अधितम पॉच ट्रस्टीयों की नियुक्ति अपने अधिकार से कर सकता है। इसके लिए उसे की किसी सहमती के लिए आवश्यकता नहीं होगी।

3. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न है– मृत्यु, ट्रस्ट विरूद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने पर, या पागल होने पर, व्यभिचारी होन पर त्याग पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्कासित किया जा सकता है। तथा मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ट्रस्टी या सदस्य को अपने अधिकार से किसी भी समय बर्खास्त या उसको

शशांक सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579731

अपने पद से तुरन्त हटा सकता है। इसके लिए उसे किसी की स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होगी।

4. ट्रस्ट में कम से कम दो व अधिकतम सात सदस्य होगें।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी या बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा। परन्तु इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति न मिलने की स्थिति में उसे फिर संसोधन के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

3. <u>**मैनेजिंग ट्रस्टी –**</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह आजीवन जब तक चाहे पद पर रह सकता है तथा अपने जीवन काल में ही किसी भी व्यक्ति को अपने पश्चात मैनेजिंग ट्रस्टी के पद पर नियुक्त कर सकता है। उसे वही सब अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त है एक बार मैनेजिंग ट्रस्टी को पद छोड़ने के पश्चात उसे दुबारा उस पद पर आने का अधिकार नहीं होगा यदि कोई अन्य व्यस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्टार के यहॉ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न करने की स्थिति में वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी शशांक सिंह पुत्र शिव मोहन सिंह की आकस्मिक मृत्यु, पागल या असाध्य रोग से ग्रसित होने पर शिव मोहन सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह ग्राम व पोस्ट–समेंदा, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होगें। तथा उनके इस अधिकार को न्यायालय या ट्रस्टीयों द्वारा चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579732

2. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें, जो कि वर्तमान ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक ओयाजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वंय करेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनका कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये, किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे अपनी जगह इस ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी को मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टीयों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579733

4. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज –**

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझें तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने, विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज इत्यादि चलाने के लिए आवश्यकतानुसार समितियों का गठन कर सकता है। इसके सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बाहर के सदस्य भी हो सकते है।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/जीवन पर्यन्त कार्य कर सकते है।

5. **मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार**– मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हित में चल–अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय, दान, गिरवी, भाड़ा दे सकता है व ले सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मैनेजिंग ट्रस्टी का यह अधिकार होगा कि विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य किसी कार्य को करने हेतु समितियों का गठन कर सकता है जिनकी संख्या मैनेजिंग ट्रस्टी के

शशांक सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579734

विवेकानुसार होगी। तथा इनका मूल ट्रस्ट से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इनके कार्यकाल का निर्धारण मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छानुसार होगा वह जब चाहे इन्हें पद से हटा सकता है।

6. **<u>मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं</u>**– ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. **<u>कार्य क्षेत्र</u>**–ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. **<u>सचिव/उपसचिव की नियुक्ति</u>**–
   1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
   2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
   3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टीयों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. **<u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति</u>**–
   1. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुवित एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579735

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त समय पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/ कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. **मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–**

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें।

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढ़ंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–**

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579721

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अनतर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गति विधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/ विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजक/निर्देशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक करना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी सनियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. प्रचार/ प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन /वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

13. **उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसके लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579722

14. **बैंक एकाउण्ट**–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में मैनेजिंग ट्रस्टी व उसके द्वारा निर्धारित अन्य ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह खाते का एकल संचालन भी कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी ट्रस्टी को खाता संचालन का विशेषाधिकार दे सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय/बी.टी.सी. कालेज/बी.एड. कालेज/नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज/आई.टी.आई. कालेज /संस्थान /केन्द्र /कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. **विधिक कार्यवाही**–संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं या उसकी अनुमति से कोई अन्य ट्रस्टी अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करेगा।

16. **सम्पत्ति सम्बन्धी**–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओ से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/बिलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 95AD 579723

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है।

किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

7. चल/अचल सम्पत्ति प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition), आदि का सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

8. ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टीयों को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की तरफ से चन्दा

या धन इत्यादि प्राप्त कर ट्रस्ट के खाते में जमा कर सकेत है, परन्तु व ट्रस्ट पर किसी भी प्रकार का ऋण या किसी प्रकार का दायित्व नहीं ग्रहण कर सकते है।

9. यदि असमान्य परिरिथतियों में ट्रस्टीयों की राय या परिस्थितिवश में ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रस्ट समस्त चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्टीयों में वितरित न होकर सामान्य उद्देश्य वाली रजिस्ट्री पंजीकरण के द्वारा दी जायेगी।

शशांक सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579724

17. **विशेष**–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट "विवेकानन्द सिंह स्मारक न्यास" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

(ख) मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

शशांक सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AD 579725

यह कि "विवेकानन्द सिंह स्मारक न्यास"/न्यास की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमत, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं क्रियान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

शशांक सिंह

शशांक सिंह
मैनेजिंग ट्रस्टी
(विवेकानन्द सिंह स्मारक न्यास)

तैयार कर्ता– शशांक सिंह

टाइप कर्ता– [illegible]

साक्षीगण

नाम– राहुल सिंह S/o हरिमोहन सिंह
पता ग्राम व पो०-समेंदा
जिला आजमगढ़

नाम– धनन्जय कुमार S/o [illegible] कुमार
पता– ग्राम व पो० समेंधा
जिला आजमगढ़

शशांक सिंह

आवेदन सं०: 201900966011499

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 197 के पृष्ठ 21 से 56 तक क्रमांक 147 पर दिनाँक 30/11/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय

उप निबंधक : सदर

आजमगढ़

30/11/2019